कालुराम बनाम महेश वगै.

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.न.- 179/2016
23.03.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण नं. 6 व 7 की तामील असालतन हो चुकी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने बाबत निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 28.04.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
28.04.2022	पत्रावली आज निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय ... पत्रावली डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर ... दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.04.29 10:49:12 IST Reason: SelfAttested 28/04/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
179/2016	2016/139	19.07.2016	28.04.2022

उनवान प्रकरण

1. कालूराम पुत्र स्वर्गीय बोदूराम आयु 53 वर्ष
2. भागीरथ पुत्र स्वर्गीय बोदूराम आयु 48 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढ़ाणी नवोड़ा तन् ग्राम कोलवा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. महेश पुत्र स्वर्गीय द्वारकाप्रसाद
2. दिनेश पुत्र स्वर्गीय द्वारकाप्रसाद
3. प्रमोद पुत्र स्वर्गीय द्वारकाप्रसाद
4. उमराव देवी पत्नी स्वर्गीय द्वारकाप्रसाद
5. ललिता पुत्री स्वर्गीय द्वारकाप्रसाद

समस्त जाति महाजन निवासीगण ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल आबाद दिल्ली सी–61, लोटन्स रोड़, केशवपुरम दिल्ली

6. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:12 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

7. उप पंजीयक श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि तन् ग्राम कोलवा पटवार हल्का सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 1.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.26 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्सा की प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के स्वर्गीय पिता/पति द्वारका प्रसाद पुत्र सीताराम के नाम व वादीगण के नाम 4/15 तथा वादीगण की पत्नियों के नाम 8/15 हिस्सा अंकित है किन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के स्वर्गीय पिता/पति द्वारका प्रसाद के नाम हिस्सा गलत अंकित चला आ रहा है जो दुरूस्तनीय है। उक्त भूमियों की खातेदारी पूर्व में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के दादा/ससुर सीताराम के नाम अंकित थी। उस समय सीताराम की मृत्यु हो जाने से उक्त भूमियों के उत्तराधिकारी सीताराम के वंशज श्रीमती नगीना देवी बेवा सीताराम, रामकिशोर, मोहनलाल पुत्रगण सीताराम व द्वारकाप्रसाद, हरिनारायण [illegible] सीताराम थें किन्तु कर्ता खानदान रामकिशोर था ने उक्त भूमियॉ जो संयुक्त हिन्दू [illegible] की थी को बहैसियत कर्त्ता खानदान वादीगण को दिनांक 3.5.1987 को 1850 [illegible] बेचान कर उक्त बेचान की ताईद में दिनांक 28.11.1987 को पांच रूप्ये के स्टाम्प पर [illegible] करवाकर स्वंय के हस्ताक्षर

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:12 IST
Reason: SelfAttested

कर दिये व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व उसी रोज 3/5 हिस्सा का विक्रय लेख वादीगण के नाम व उनके परिवार की औरतों के नाम तस्दीक करवा दिया था तथा अन्य उत्तराधिकारियों की ओर से अपने हस्ताक्षर कर उक्त वर्णित भूमियॉ समस्त का कब्जा भी वादीगण को मौके पर सम्भला कर अपना कब्जा हटा लिया था। इसके बाद 1/5 हिस्सा का विक्रय लेख हरिनारायण पुत्र सीताराम ने भी उक्त इकरारनामा की पालना में वादीगण की पत्नियों के नाम दिनांक 4.8.2004 को पंजीबद्ध करवा दिया किन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के स्वर्गीय पिता/पति द्वारकाप्रसाद मौके पर उपस्थित नहीं होने से उसके हिस्सा 1/5 का विक्रय लेख वादीगण के हक में नहीं हो सका, जबकि सम्पूर्ण भूमि का विक्रय दिनांक 3.5.1987 को वादीगण के हक में कर्त्ता खानदान की हैसियत से रामकिशोर पुत्र सीताराम द्वारा किया जाकर कब्जा सम्पूर्ण रकबा 1.70 हैक्टर का वादीगण को सम्भलाया गया था। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 या दीगर किसी का कोई वास्ता उक्त कृषि भूमियों से नहीं रहा न वर्तमान में है किन्तु हिस्सा 1/5 की खातेदारी आज भी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के स्वर्गीय पिता/पति द्वारकाप्रसाद के नाम चली आ रही है जो गलत होकर दुरूस्तीय है। उक्त कृषि भूमियों को दिनांक 3.5.1987 को क्रय कर कब्जा प्राप्त करने के बाद हजारो रूपये खर्च कर व मेहनत करके उपजाउ व समतल बनाया है। वादीगण ने स्वय के पड़ौस में स्थित चाह से अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन डालकर इन भूमियों को सींच रहे है। इनमें अच्छी पैदावार होने से कीमतें काफी बढ़ गई है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मन में लोभ, लालच व बेईमानी आ चुकी है। इस कारण वादीगण के पक्ष में विक्रय लेख तहरीर व तकमील नहीं करवा रहे है। अर्सा 1 माह पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 से उनके पिता/पति के नाम दर्ज हिस्सा 1/5 का विक्रय लेख उनके पक्ष में करवाने बाबत कहां और इनके स्वर्गीय पिता/प[illegible] खानदान रामकिशोर द्वारा किये गये विक्रय व ईकरारनामा [illegible] तो प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 ने उक्त इकरारनामा [illegible] करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया व वर्तमान दरों से भूमि का पैसा देने की स्थिति [illegible] विक्रय लेख पंजीबद्ध कराने की धमकी दी जाने पर वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार बने रहने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हुआ। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के स्वर्गीय पिता/पति द्वारकाप्रसाद के नाम दर्ज उक्त हिस्सा सहित सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के ताउ/जेठ रामकिशोर ने बहैसियत कर्त्ता खानदान विक्रय कर प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा वादीगण को सम्भला दिया था। ऐसी स्थिती में प्रतिवादी नं. 1 ता 5 के स्वर्गीय पिता/पति द्वारकाप्रसाद के सम्पूर्ण हक अधिकार उक्त हिस्सा बाबत धारा 63 टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत भी स्वतः समाप्त हो चुके है। वादीगण को सम्पूर्ण भूमि बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो चूका है। प्रतिवादीगण को अब कोई अधिकार उक्त हिस्सा की भूमि दीगर को हस्तान्तरण करने का व वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में मजाहमत करने का किसी प्रकार का कानूनी हक प्राप्त नहीं हैं। पक्षकारान् वादीगण अपने हक हिस्से में आयी हुई भूमियों पर निरन्तर बिना किसी रोक टोक के काबिज काश्त चले आ रहे है। इस कारण उक्त खातेदारी अधिकारों की धोषणा कराने के वादीगण काननून अधिकारी है ओर उक्त अधिकारों की घोषणा हेतु वादीगण को दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वकील वादीगण ने दावा पेश कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 63, 64, 67 कुल किता 3 कुल रकबा 1.70 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कोलवा पटवार मण्डल सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के स्वर्गीय पिता/पति द्वारकाप्रसाद के नाम दर्ज हिस्सा 1/5 का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृत्तक द्वारकाप्रसाद का नाम उक्त हिस्सा 1/5 से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 से 5 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के 9 माह से भी अधिक का समय हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आये है एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 की तामील असालतन हो जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके साथ ही वादीगण की ओर से मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र व वादीगण साक्ष्य गवाह में भगवान सहाय यादव व सुरेश कुमार के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:12 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जिन पर प्रदर्श अंकित किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2071–2074, विक्रय लेख दिनांकित 16.08.2004, 13.04.1988, 16.08.2004, 16.08.2004 एंव विक्रय इकरारनामा दिनांकित 28.11.1987, साक्ष्य वादीगण में वादी व गवाहान् के पेश किये गये लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनमें से जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 का अवलोकन करने पर उक्त वादग्रस्त भूमियो की खातेदारी वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मृत्तक पिता द्वारकाप्रसाद पुत्र सीताराम हिस्सा 1/5 कौम महाजन के नाम भी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उप पंजीयक श्रीमाधोपुर के यहाँ तस्दीक कराये गये विक्रय लेख दिनांकित 16.08.2004, 13.04.1988, 16.08.2004, 16.08.2004 के द्वारा क्रय की गई भूमियों का नामान्तकरण केतागणों के नाम खाता खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। वादीगण ने अपने वादपत्र में नगीना देवी बेवा सीताराम, रामकिशोर, मोहनलाल पुत्रगण सीताराम जाति महाजन निवासी मूण्ड्रू के द्वारा रूघनाथ, कालूराम, भागीरथ पुत्रगण बोदूराम जाति अहीर निवासी ढ़ाणी नवोड़ा तन् कौलवा को पॉच रूपये के स्टाम्प पत्र पर दिनांक 28.11.1987 को अक्षरे उन्नीस हजार पॉच सौ एक रूपए मात्र पर विक्रय की गई भूमियों बाबत लिखवाये गये इकरारनामा जो द्वारकाप्रसाद व हरिनारायण के दिल्ली नौकरी करने पर उनकी ओर से बैचान किये जाने बाबत हवाला दिया है के आधार पर वा[illegible] की उद्घोषणा करवाने बाबत उक्त वादपत्र का पेश कि[illegible]ना के आधार पर वादीगण ने उक्त वादग्रस्त आरा[illegible]कब्जे काश्त होना अंकित किया जाकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार[illegible] घोषणा करवाना चाहते है एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:12 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार भी स्वतः समाप्त हो जाने का कथन किया है।

वकील वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार भी स्वतः समाप्त हो जाने बाबत किये गये कथन के सम्बन्ध में जहॉ तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों का सवाल है के अन्तर्गत उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी भूमियों के मूल खातेदारान् द्वारकाप्रसाद व हरिनारायण जाति महाजन के द्वारा उक्त भूमियों का बैचान करने, दान में देने, विरासत का हकदार वारिस छोड़े बिना मर जाने, उसे कब्जे से वंचित कर दिये जाने ओर उसका कब्जा फिर से प्राप्त करने का अधिकार परिसीमा से वर्जित हो जाने, उसे बेदखल कर दिये जाने, विधिमान्य पारपत्र अभिप्राप्त किये बिना या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवास के लिए भारत से विदेश चले जाने जैसा कोई प्रमाण रिकार्ड पर सामने नहीं प्रकट होता है। जहॉ तक वादग्रस्त आराजी भूमियों पर वादीगण के पिछले 28 वर्षो की लम्बी अवधि से कब्जा होने का कथन वादपत्र में वादीगण ने किया है के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के तहत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रस्तुत वाद पत्र में केवल मात्र अपंजीकृत ईकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानी चाही है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई अधिकार संबधित दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। वादीगण के द्वारा जिस तथाकथित ईकरारनामा के आधार पर घोषणा चाही गई है। वह ईकरारनामा रजिस्ट्रीकृत नहीं है एंव ना ही इसके मूल खातेदारान् द्वारका प्रसाद व हरि नारायण जाति महाजन के ही उक्त इकरारनामा पर हस्ताक्षर ही अंकित किये गये है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टः रूप से दिशा निर्देश जारी किये गये है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:12 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.29 10:49:12 IST
Reason: SelfAttested